फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,

किशनगढ अजमेर (राज0)

मोती बनाम मोहनी देवी

दीवानी वाद संख्या 15/16

सीआईएस संख्या 19/16

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	<u>दिनांक 16-03-2026</u> वकील पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षों ने बहस प्रार्थनापत्र हेतु समय चाहा। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र हेतु दिनांक 19.03.2026 को पेश हो। (संदीप आनन्द) **<u>दिनांक 19-03-2026</u>** श्री इन्द्रेश कुमार रामचन्दानी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/वादी की ओर से उपस्थित। श्री श्याम मनोहर पुरोहित, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.02.2026 सुनी गई। इस प्रार्थनापत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी की ओर से जो साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, वे शपथपत्र प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में अंकित तथ्यों से परे जाकर किए गए हैं। साक्ष्य शपथपत्र में अंकित कथन जवाबदावे का भाग नहीं हैं, जिन्हें साक्ष्य शपथपत्र में अंकित करने का कोई हक व अधिकार प्रतिवादी को नहीं है। इस तरह प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथपत्र साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य नहीं हैं। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत गवाहन रामलाल व गणेश के शपथपत्रों को साक्ष्य से अपवर्जित किए जाने के आदेश दिए जाए। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2004 डीएनजे (एससी) 123 अमीर ट्रेडिंग कॉपारेशन बनाम शपूरजी दत्ता प्रोसेसिंग लि. प्रस्तुत किया। इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि साक्ष्य शपथपत्र में प्रतिवादी ने हस्तगत प्रकरण की विषयवस्तु से सुसंगत ही कथन किए हैं। वादी के पास इन गवाहों से जिरह करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। वादी ने अपने प्रार्थनापत्र में उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है, जो तथ्य प्रतिवादी ने अपने	

जवाबदावे से परे जाकर साक्ष्य शपथपत्र में अंकित किए हैं। वादी ने यह प्रार्थनापत्र केवल वाद प्रकरण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया है। अतः हस्तगत प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा अस्वीकार कर खारिज किया जाए।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

हस्तगत प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस प्रार्थनापत्र में वादी ने उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है, जिन्हें वह प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र में जवाबदावे से परे जाकर अंकित किये जाने का कथन करता है। यह सही है कि जवाबदावे से परे जाकर साक्ष्य शपथपत्र में तथ्य अंकित करने का कोई हक व अधिकार प्रतिवादी को नहीं है, परंतु चूंकि ऐसे किन्हीं तथ्यों का वर्णन वादी ने अपने प्रार्थनापत्र में नहीं किया है, ऐसी स्थिति में इस हस्तगत प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने के कोई न्यायसंगत आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। परिणामतः यह प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। एवं यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे से परे जाकर कोई कथन अपने साक्ष्य शपथपत्र में किए गए हैं, तो उन्हें वक्त निर्णय साक्ष्य का विवेचन किए जाते समय विचार में नहीं लिया जाएगा।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जिरह/साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक.....को पेश हो।

(संदीप आनन्द)

SUNIL SONI

Steno Gr. II
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.03.19 16:37:46 +0530